दीपशिखा-उत्तर साक्षरता कार्यक्रम

सम्पूर्ण साक्षरता अभियान की समाप्ति के उपरान्त जनपद में उन नवसाक्षरों के लिए जिन्होनें सम्पूर्ण साक्षरता अभियान, अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय या अन्य माध्यमों से प्राथमिक स्तर तक का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम संचालित लिया जा रहा है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :— आज साक्षरता का अर्थ निशानी अंगूठा से छुटकारा नहीं है। अब साक्षरता को **'कार्यात्मक साक्षरता' कहा गया है, जिसमें शामिल है—**

- पढ़ने-लिखने और हिसाब-किताब करने में आत्म निर्भरता। इसमें लगभग कक्षा तीन के स्तर तक की जानकारी प्रदान की जाती है।
- अपने पिछड़ेपन के कारणों की पहचान और विकास कार्यक्रमों में भागीदारी के जरिए तथा संगठन बनाकर इन कारणों से मुक्ति पाना।
- बीच में विद्यालय छोड़ने वाले छात्रों व निरक्षर लोगों को साक्षरता के अपेक्षित स्तर तक लाना तथा जीवन स्तर को सुधारने एवं कार्यात्मक साक्षरता के लिए अवसर उत्पन्न करना।
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे—राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, महिला समानता, राष्ट्रीय बचत, परिवार कल्याण एवं नियोजन आदि के प्रति लोगों को जागरुक करना।
- सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों, अंधविश्वास के प्रति जनता को जागरुक करना। शिक्षा के महत्व के प्रति अभिभावकों को जागरुक करना।
- व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु स्थानीय संसाधनों के प्रयोग पर बल। ग्राम स्तर पर सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह के विकास एवं गठन के प्रति जागरुकता पैदा करना।
- ग्राम स्तर पर पुस्तकालय की व्यवस्था एवं जन सहयोग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।
- लक्ष्य समूह/प्रतिभागी :— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत 15-35 वय वर्ग के
- निर्धारित कार्यात्मक साक्षरता स्तर पूरा करने वाले नव साक्षर।
- बीच में विद्यालय छोड़ने वाले छात्र।
- अनौपचारिक शिक्षा में सफल होने वाले छात्र।
- समाज के इच्छुक व्यक्ति जो जीवन भर शिक्षा जारी रखना चाहते हैं।

कार्यक्रम में सम्मिलित हैं ?

सुधार कार्यक्रम :— जिन्होने किसी कारणवश साक्षरता अभियान में बिल्कुल भाग नहीं लिया है, उन्हें इसके अन्तर्गत साक्षर बनाया जाएगा। नव साक्षरों को उनके अर्जित साक्षरता स्तर को आगे बढ़ाने का कार्य किया जायेगा।

शिक्षा :— साक्षरता का अपेक्षित स्तर प्राप्त लाभार्थी को इस प्रकार का मार्ग दर्शन प्रदान किया जायेगा जिससे वे स्व-शिक्षा के लिए प्रेरित हों।

प्रयोग :— प्रयोग से तात्पर्य सीखे गये कौशल से है। इसके द्वारा लाभार्थी जीवन स्तर में वृद्धि के लिए जीवन कौशल, जीवित रहने के कौशल एवं व्यावहारिक कौशल प्राप्त करते हैं। लाभार्थियों को कृषि, पशुपालन, परिवार कल्याण, प्रतिरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में जानकारी चर्चा, वार्ता, गोष्ठी एवं अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करके उपलब्ध करायी जाती है।

मापिंग-अप आपरेशन

मापिंग-अप :— सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के अन्तर्गत लक्ष्य समूह 15-35 आयु वर्ग के ऐसे निरक्षर प्रतिभागी जो चिन्हित थे, परन्तु कुछ व्यक्तिगत और स्थानीय समस्याओं के फलस्वरूप केन्द्रों पर नहीं आ सके, इन्हें साक्षरता के मानक स्तर तक ले आना।

अर्द्धसाक्षर :—साक्षरत अभियाना के ऐसे लक्ष्य समूह प्रतिभागी जो प्रवेशिका भाग-1 पूर्ण नही कर सके।

नव साक्षर :— साक्षरता अभियान के ऐसे लक्ष्य समूह प्रतिभागी जो प्रवेशिक भाग-2 पूर्ण किए हों।

सुधार (रेमिडेशन) :—साक्षरता अभियान के ऐसे लक्ष्य समूह प्रतिभागी जो प्रवेशिका भाग-2 तो पूर्ण किए लेकिन प्रवेशिका भाग-3 के स्तर में नहीं पहुंचे सके। ऐसे प्रतिभागियों को सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा जायेगा।